:: कार्यालय– पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों की समिति, उज्जैन एवं अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन, म.प्र. ::

–: ज्ञापन :–

क्रमांक– 412 **उज्जैन, दिनांक–29/05/2024**

प्रति,

.....

.....

.....

(समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन, म.प्र.)

विषयः– पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों के संबंध में दिनांक 08.06.2024 को आयोजित होने वाली मीटिंग से पूर्व पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों की सूची प्रेषित किये जाने बाबत्।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का ज्ञापन क्र. सी/44 दिनांक 07.01.2014 एवं सी/2633 दि. 30.06.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का ज्ञापन कं. 4234/एक–6–5/15 दि. 28.04.2023

:: 00 ::

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों के संबंध में प्रतिमाह आयोजित होने वाली आगामी मीटिंग दिनांक 08.06.2024 को निश्चित की गई है। उक्त मीटिंग में आपके न्यायालय के पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों की सूची रखे जाने हेतु आपसे अपेक्षित है कि, आपके न्यायालय में यदि कोई प्रकरण पुराने एवं निष्प्रभावी होकर लंबित हैं तो ऐसे प्रकरणों की सूची आप अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने से पूर्व दिनांक 01.06.2024 तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(विवेक कुमार चंदेल)
अध्यक्ष,
पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों की समिति, उज्जैन
एवं अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन, म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक : 412(1) **उज्जैन, दिनांक–29/05/2024**

प्रतिलिपि :– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/-
(विवेक कुमार चंदेल)
अध्यक्ष,
पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों की समिति, उज्जैन
एवं अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन, म.प्र.

—: पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों से आशय :—

—: पुराने और निष्प्रभावी प्रकरण से आशय ऐसे प्रकरणों से है, जो उस वर्ष की दिनांक 31 दिसंबर को न्यायालय में लंबित रहते हुए 05 वर्ष की अवधि व्यतीत कर चुके हों।

उदाहरणार्थ— जिस प्रकरण में दिनांक 31 दिसंबर 2009 या उसके पूर्व अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, वह वर्ष 2015 के लिए पुराने और निष्प्रभावी प्रकरण की कोटि में आ जाएगा।

—: कौन—कौन से प्रकरण उक्त श्रेणी में चिन्हित किए जा सकते हैं :—

1. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 में आने वाले मामले।
2. म.प्र. पुलिस एक्ट।
3. सार्वजनिक द्यूत अधिनियम से संबंधित मामले।
4. मोटरयान अधिनियम से संबंधित मामले।
5. भारतीय दंड संहिता में तीन वर्ष की अवधि तक के दण्डादेश वाले मामले।
6. अन्य ऐसे अपराध जो तीन वर्ष से अनधिक अवधि से दण्डनीय हों।
7. नापतौल संबंधी मामले एवं दुकान—संस्थान संबंधी मामले।

—: वह मामले जो इस गाईडलाईन के अंतर्गत नहीं आएंगे :—

1. भ्रष्टाचार संबंधित मामले,
2. चिटफंड से संबंधित मामले,
3. आर्थिक अपराध,
4. एन.डी.पी.एस. एक्ट,
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम,
6. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम,
7. लोकसेवक के विरुद्ध किए गए अपराध,
8. मिथ्या साक्ष्य देने संबंधी मामले,
9. धारा 304—एए भा.दं.वि. के तहत आने वाले मामले,
10. महिलाओं को घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामले,
11. अन्य ऐसे अपराध जो राज्य के विरुद्ध किए गए हों,

उदाहरण के लिए भा.दं.वि. की धारा 137, 138, 140, 154, 155, 156, 279, 280, 283, 290, 323, 334, 336, 338, 341, 342, 357, 358, 504 आदि में ऊपर वर्णित परिधि में आने वाले प्रकरण।

नोट— ऊपर वर्णित धाराएं मात्र उदाहरण के लिए हैं, इनके अतिरिक्त भी अन्य ऐसे अपराध जो गाईडलाईन में आते हैं, उन्हें चिन्हित किया जा सकता है।

Only those cases which fall under Clause 4 and 5 and are not excluded by Clause 6 of the 'Guidelines' be included											
PROFARMA 'A'											
Sr. No.	Case No.	Name of the Court	Category	Chargesheet filed on	Whether accused person/witness appeared		whether Charge framed/ plea recorded	Date of Charge/Plea	Proceeding pending for non appearance of accused person/witness (reason thereof)	Date since when pending	Remark
					Yes/No	If yes, the date of last appearance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12